भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 244

27 नवंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई का प्रभाव

244. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में खाद्य सुरक्षा और लाभार्थियों की संतुष्टि पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के प्रभाव सहित आंकड़ों अथवा प्राप्त फीडबैक संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में पहचान की गई और विकसित मॉडल उचित दर की दुकानें (एफपीएस) जो बैंकिंग और डाक सेवाओं सहित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सेवाएं प्रदान करती हैं, के संबंध में राज्य-वार विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने राजस्थान में मॉडल उचित दर दुकानों और पीएमजीकेएवाई की प्रगति और प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए किसी निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) लाभार्थियों की पहचान में वृद्धि करने और खाद्यान्न आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में राशन कार्डों के डिजिटलीकरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को राजस्थान राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में, 446.62 लाख व्यक्तियों की अपेक्षित कवरेज के प्रति, राजस्थान राज्य ने पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए 440.01 लाख लाभार्थियों की पहचान की है।

...2/-

(ख) विभाग ने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से सीएससी सेवाओं के वितरण के लिए सीएससी ई-गर्वनेंस सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में, राजस्थान राज्य में 3436 उचित दर दुकानें सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) प्रदान करती हैं।

(ग) और (घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केंद्र और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत प्रचालित की जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन और भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट डिपो तक इनके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण, पात्र लाभार्थियों/परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना और उचित दर दुकानों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण और निगरानी संबंधी प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती हैं। एनएफएसए लाभार्थियों द्वारा संपर्क करने और उनकी शिकायतों के निवारण तथा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हेल्पलाइन नंबर 1967/1800-राज्य श्रेणी नंबर चालू है।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार ने शिकायत निवारण के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 की भी शुरुआत की है।

(ड.) राजस्थान राज्य में सभी राशन कार्डों और लाभार्थियों के डाटाबेस को पूर्णत: डिजिटल कर दिया गया है। लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणन के माध्यम से खाद्यान्नों का पारदर्शी वितरण करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण संस्थापित करके 25579 से अधिक उचित दर दुकानों को स्वचालित कर दिया गया है।

****